न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 11/2023 बउनवानी सोनू सिसोदिया बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0
पुत्र श्री रमेश सिसोदिया, निवासी 86/368 सीमेन्ट फैक्ट्री, साहूनगर, सवाईमाधोपुर
GCMS No-2023/15

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
22.2.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 21.10.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:— 1. कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरने/बस स्टेण्ड के बगल में स्थित एस.टी.डी. से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाया जावे। 2. उक्त एस.टी.डी. जगदम्बा ई—मित्र दस्तावेज पटटा इत्यादि की प्रतिलिपि उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही, दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक एफ.2(253)सूकाअ/2022/1778 दिनांक 14.2.2023 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2022 मे चाही गयी सूचना विशिष्टविहीन एवं प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ) के प्रावधानानुसार सूचना देय नही होने के कारण अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1237 दिनांक 27.10.2022 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.10.2022 मे चाही गयी सूचना विशिष्टविहीन एवं प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ) के प्रावधानानुसार दिये जाने योग्य नही होने के कारण तत्समय ही अधिनियम की तय समय सीमा मे जरिये पत्रांक 1237 दिनांक 27.10.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने एवं चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली [illegible] रजिस्टर नम्बर से कम हो[illegible] बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:36:24 IST
Reason: SelfAttested